

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

मुवल राम बनाम जगदीश वर्मा
मा दावा नं. 109 सन् 2019

| क्र | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 11.11.2019 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकार वादी दयालसिंह उपस्थित। वकील वादी मय पक्षकार ने उपस्थित होकर वादपत्र को आगे नहीं चलाकर विद्वा किये जाने का निवेदन किया है। वकील वादी के निवेदन पर वादपत्र को विद्वा कर खारीज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(लक्ष्मीकांत गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> | <p>11-11-2019 405 का वि 35 करती विदवा D Singh 11-11-2019 Ganeshwar D S mg Nehru 11-11-19</p> |

